न्यायालय श्रीमान राजस्व मन्डल म०प्र० ग्वालियर (म०प्र०)

निगरानी प्रकरण क्रमांक । १९९३ईस्वी।

दो रुपये TWO RUPEES

पांच रुपये FIVE RUPEES

दो रुपये TWO RUPEES

C.F. 4.91/-

१- श्री कान्त द्विवेदी, ।
२- श्री कमलाकान्त द्विवेदी, ।
३- दया शंकर द्विवेदी । तनय महावीर द्विवेदी,
सभी निवासीगण ग्राम पहरी, तहसील त्योंथर, जिला
रीवा म०प्र० --- ---------- आवेदकगण

बनाम

त्रियुगीनारायण तनय राजधर द्विवेदी निवासी ग्राम पहरी,
तहसील त्योंथर, जिला रीवा म०प्र० ---- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अतिरिक्त
कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक २१-९-९३
प्रकरण क्र० -113/89-90
अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता
सन १९५९ई०।

मान्यवर, आवेदकगण का निगरानी आवेदनपत्र निम्नलिखित है:-

१- यहकि निर्णय व आदेश अति० कमिश्नर
रेस्पा० की स्वीकृति एवं कानून के विरुद्ध होने से निरस्त होने
योग्य है।

२- यहकि यह तथ्य विवादित नहीं था कि
भूमि खसरा क्र० २९७ रकवा १-४३ए० ग्राम बड़ागांव में विक्रय के
पूर्व से स्थित थी और अब भी है, और उसका पट्टा अनावेदक के
नाम स्थित ... क्रमांक २९७

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 905/93 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–7–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग, रीवा के प्रकरण क्र0 113/89–90 में पारित आदेश दिनांक 21.09.93 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बड़ागांव स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 297 रकबा 1.42 का नामांतरण करने बावत् आवेदकगण द्वारा आवेदन–पत्र नायब तहसीलदार त्योंथर वृत्त रायपुर सौनौरी के न्यायालय में पेश किया गया । जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.92 को आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नामांतरण का आवेदन–पत्र अस्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर, जिला–रीवा के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई, जो दिनांक 20.12.89 को अमान्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर, रीवा के आदेश दिनांक 20.12.89 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय	

अपर आयुक्त के यहाँ प्रकरण क्रमांक 113/89–90 पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 21.09.93 को अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 21.09.93 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि भूमि खसरा क्र0 297 रकबा 1.43 ए0 ग्राम बड़ागांव स्थित है। उक्त खसरा की भूमि अनावेदक के पट्टे की ग्राम पडरी में विक्रय के समय नहीं थी और न आज है । ऐसी स्थिति में धारा 95 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमि खसरा क्र0 293 रकबा 1.43 ए0 स्थित ग्राम बड़ागांव का ही विक्रय होगा व विक्रय पत्र में लिखा जाना चाहिये था और माना भी जाना चाहिये था, और उसका नामांतरण आवेदकगण के पक्ष में होना चाहिये था । अधीनस्थ न्यायालयों ने विक्रय पत्र की गलत प्रविष्टि के अनुसार यह गलत तौर पर मान लिया है कि भूमि ग्राम पडरी की विक्रय की गई है । अपर आयुक्त को इस बात का निराकरण करना चाहिये था कि विक्रय की गई भूमि बड़ागांव की है या पडरी गांव की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा

प्रकरण गुणदोषों के आधार पर निराकरण करने के लिये रखा जाता है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पंजीकृत बयानों मैं दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर ही अपने आदेश पारित किये है । विक्रेता ने ग्राम पडरी की जमीन विक्रय करना बताया है । भारतीय अधिनियम की धारा 95 के बारे में उन्होंने पडरी में अपनी अन्य भूमि खसरा क्रमांक 157 होना बताया है । प्रकरण की परिस्थितियों में पंजीकृत विक्रय पत्र में खसरा ग्राम बड़ागांव लिखे गये है, जबकि ग्राम पडरी लिख गया और इसी के आधारा पर अधीनस्थ न्यायालयों में नामांतरण का आदेश पारित किया है । यदि विक्रय पत्र में कोई त्रुटिकारित हुई है तो उसे उप–पंजीयक के यहॉ दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन कराया जा सकता है, किन्तु राजस्व अधिकारी को पंजीयतविलेख में, अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधार करने का अधिकार नहीं है। राजस्व अधिकारी मात्र रजिस्ट्रेशन के आधार पर नामांतरण करने का अधिकारी है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.92 विधि के विपरीत है जो स्थिर

एवं अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश 21.09.93 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निरगानी खारिज की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य